भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2398
06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: शीघ्र खराब होने वाली फसलों का शीत भंडारण

2398. श्री अनुराग शर्मा:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
डॉ. विनोद कुमार बिंद:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि किसान फलों और सब्जियां को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी उपज जल्दी खराब हो जाती है;
(ख) यदि हां, तो किसानों को भारी नुकसान से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या जल्दी खराब होने वाली फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या कम लागत पर कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)</u>

(क) एवं (ख): किसी भी राज्य से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (च): सरकार विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है, जिसके तहत पूरे देश में शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर देश में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एएपी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकता, क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज का घटक मांग/उद्यमी द्वारा संचालित है, जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% और

पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

इस योजना के तहत व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं के समूहों, भागीदारी/स्वामित्व वाली फर्मों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संघों, स्थानीय निकायों, कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) और विपणन बोर्डों तथा राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "कोल्ड स्टोरेज और बागवानी उत्पादों के भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी नामक एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 10000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज और नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 35% और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में, 1000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाली इकाइयां भी सहायता के लिए पात्र हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में एकीकृत कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक योजना कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की फसलोपरान्त होने वाले नुकसान को कम करना और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। इस योजना के तहत, मंत्रालय भंडारण और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सामान्य क्षेत्रों हेतु 35% और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 50% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है और विकिरण सुविधा सहित एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना 10.00 करोड़ रुपये की अधिकतम अनुदान सहायता के अध्यधीन मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए क्रमशः 50% और 75% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज को कवर नहीं किया गया है।

उपरोक्त सभी योजनाएं वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से मांग/उद्यमी द्वारा संचालित हैं, जिसके लिए राज्यों/उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सरकारी सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) की शुरुआत की है। एआईएफ के तहत, 2.00 करोड़ रुपये तक के कोलेटरल फ्री टर्म लोन तथा कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित कटाई के पश्चात इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु लिए गए सावधि ऋण पर 3% की ब्याज छूट (इंट्रेस्ट सब्वेंशन) का प्रावधान है।

******